प्रभात खबर 24-1-2016

बैठक. झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस पटेल ने कहा

विवि के लंबित मामले को लेकर लगेगी विशेष लोक अदालत

झालसा के न्याय सदन में रविवार को उच्चस्तरीय बैठक हुई.मौके पर राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में वर्षों से लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सितंबर में विशेष लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया गया.

वरीय संवाददाता ▸ रांची

राज्य के विश्वविद्यालयों के वर्षों से लंबित मामलों के लिए निष्पादन के लिए सितंबर माह में विशेष लोक अदालत लगायी जायेगी. यह लोक अदालत देश में अपने तरह का अनूठा उदाहरण बन सकता है. लोक अदालत से जल्द व सस्ता न्याय मिलता है. मामलों के जल्दी निबटारे में लोक अदालत सहायक होती है. राज्य सरकार के स्तर पर जितने मामले लंबित है, उसका जल्द समाधान निकलना चाहिए.

उक्त बातें झारखंड हाइकोर्ट के सीनियर जज व झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल ने कही. वे शनिवार को झालसा के न्याय सदन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे. बैठक में शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने कहा कि वे पहले पारा लीगल वोलेंटियर (पीएलवी) के रूप में काम कर चुकी है. लोक अदालत की कार्यप्रणाली से वे पूरी तरह से वाकिफ है. इसका लाभ लेकर तेजी से लंबित मामले सुलझाये जा सकते हैं. बैठक में कहा गया कि हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है. इस तरह के लगभग 600 मामले लंबित हैं. यह भी कहा गया कि संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में पिछले 16 वर्षों से नियुक्ति नहीं की गयी है. नियुक्ति जेपीएससी से होना है. इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन एडहॉक नियुक्ति कर लेता है. बाद में नियमितीकरण का मामला बनता है. कुछ मामलों में सेवा नियमित कर दी जाती है, तो कुछ मामले लटकाये रखे जाते है.

इस अवसर पर राज्यपाल के एकेडमिक सलाहकार डॉ आनंद भूषण, उच्च शिक्षा सचिव, पूर्व मुख्य सचिव डॉ अशोक कुमार सिंह, वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम, राजेश कुमार सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी आदि उपस्थित थे.

सितंबर में होगा विशेष लोक अदालत का आयोजन

झालसा के न्याय सदन में हुई उच्चस्तरीय बैठक.

Pioneer 24-7-2016

JHALSA, Govt brainstorm to settle varsities' cases

PNS ■ RANCHI

Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA) Executive Chairman Justice D N Patel on Saturday asked the Higher & Technical Education Department to take a decision over all such cases in which the issue involved has reached its finality and there is no appeal pending in the Supreme Court.

Holding a brainstorming session with the Higher and Technical Education (HTE) Minister Neera Yadav, Academic Advisor to Governor Anand Bhushan, HTE Secretary Ajoy Kumar Singh, host of senior officers, representatives of various universities and senior lawyers as a preparation for a special Lok Adalat, likely to be held in September, Justice Patel said such a step will resolve at least 400 cases at one stroke.

Stressing on the importance of Lok Adalat in delivering speedy justice to the underprivileged, he pointed out that the Jharkhand High Court delivered a judgment in which it was said that the State Government can't deny post retirement benefits to the kin of deceased university teachers on the grounds that the post he or she held was not sanctioned by the Government. "This argument will no longer hold water as the high court gave its final ruling some six months back and the government has not challenged the order in the apex court," he added.

Maintaining that the first two special Lok Adalats held in 2012 to deal with university cases have been a runaway success, he pointed out that the cases mainly involved promotion, arrears of salary, dismissal, increment etc.

Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA) Executive Chairman Justice D N Patel along with HRD Minister Neera Yadav, Academic Advisor to Governor Anand Bhushan, HTE Secretary Ajoy Kumar Singh, during a preparation for a special Lok Adalat meeting at JHALSA in Ranchi on Saturday

Ratan Lal I Pioneer

Around 300 cases concerning various universities are pending in the High Court. Besides, at least 100 contempt cases against the Government are pending in this regard.

He also lauded the education department for releasing funds to various universities to pay pension, arrears etc after a meeting in June with Governor Droupadi Murmu alongwith Education department officials and vice chancellors of all the universities in this regard.

Notably, the Department has released ₹58 crore for Vinoba Bhave University, ₹10 crore for Ranchi University to pay the outstanding dues of the retired employees and teachers. He expressed hope that the Government will release funds for the other universities too.

Former Chief Secretary Ashok Kumar Singh, who practices law in the High Court, pointed out that there is need to go for regular appointment of principals in affiliated colleges in order to reduce the litigations. "Also, there is a need to take a decision over payment of dues during the Bihar days," he added.

He said that non-teaching staffs should be appointed through Subordinate Service Commission, and added that the system of adhoc appointments in all categories should be immediately abolished in order to stop the generation of cases against the Government.

The Higher and Technical Education Secretary assured the JHALSA that he will dispose of all the pending 200 cases within three weeks' time. He pointed that the government will require at least ₹400 crore to comply with the High Court's order on post-retirement and other benefits to the teaching and non-teaching staff, who worked on unsanctioned posts. "It will require a major policy decision by the Government," he pointed out.

Singh said that the department has sought the opinion of the Advocate General to chalk out its future course of action. He also assured that the department will release funds for settling other claims, including pay fixation arrears once it gets requisite funds from the Central Government.

Minister Neera Yadav also lauded the JHALSA step for resolving the education cases through Lok Adalat, and assured all help to the universities in this case.

शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने पूरे सहयोग का दिया आश्वासन, कहा – पारा लीगल वोलेंटियर के रूप में काम कर चुकी हैं

यूनिवर्सिटी के लंबित मामलों के लिए लगेगी तृतीय विवि लोक अदालत

संवाददाता

रांची। झारखंड हाइकोर्ट के सीनियर जज व झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों के वर्षों से लंबित मामलों के लिए निष्पादन के लिए सितंबर माह में तृतीय विश्वविद्यालय विशेष लोक अदालत लगायी जायेगी। यह लोक अदालत देश में अपने तरह का अनूठा उदाहरण बन सकता है। लोक अदालत से जल्द व सस्ता न्याय मिलता है। मामलों के जल्दी निपटारे में लोक अदालत सहायक होती है। राज्य सरकार के स्तर पर जितने मामले लंबित है, उसका जल्द

झालसा के न्याय सदन में आयोजित बैठक में शामिल लोग।

समाधान निकलना चाहिए। वे शनिवार को झालसा के न्याय सदन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व जस्टिस डीएन पटेल ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन द्वारा पिछले दो विश्वविद्यालय लोक अदालतों (13/5/2012 एवं 23/5/12) के अनुभवों को बताया। साथ ही इस बार के तृतीय विवि लोक अदालत की तैयारियों के बारे में मार्ग दर्शन किया। बैठक में उपस्थित स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की मंत्री डॉ. नीरा यादव ने कहा कि वे पहले पारा लीगल वोलेंटियर (पीएलवी) के रूप में काम कर चुकी है। लोक अदालत की कार्यप्रणाली से वे पूरी तरह से वाकिफ है। इसका लाभ लेकर तेजी से लंबित मामले सुलझाये जा सकते है। बकाया भुगतान से संबंधित जो हो सकेगा उस पर पूरे सहयोग का आश्वासन दिया।

बैठक में कहा गया कि हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस तरह के लगभग 600 मामले लंबित है।

अवमानना वाद, सेवानिवृत्ति लाभ, बकाया वेतन, प्रोन्नति, अनुकंपा पर नियुक्ति, सेवा नियमितीकरण आदि से संबंधित हजारों मामले लंबित है। यह भी कहा गया कि संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में पिछले 16 वर्षों से नियुक्ति नहीं की गयी है। नियुक्ति जेपीएससी से होना है। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन एडहॉक नियुक्ति कर लेता है। बाद में नियमितीकरण का मामला बनता है। कुछ मामलों में सेवा नियमित कर दी जाती है, तो कुछ मामले लटकाये रखे जाते है। इस अवसर पर उच्चतर शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह, व्यय सचिव एसके सिंह, कृषि विशेष सचिव शुभ्रा वर्मा, राज्यपाल के एकेडेमिक सलाहकार आनंद भूषण, अपर महाधिवक्ता एचके मेहता, पूर्व मुख्य सचिव सह अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह, पूर्व एजी सुहैल अनवर, वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम, सरकारी अधिवक्ता राजेश कुमार, सभी विवि के नोडल अधिकारी, रांची के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार, झालसा के सदस्य सचिव एके राय, हाइकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के सचिव संतोष कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

हिन्दुस्तान २५-७-२०१६

विश्वविद्यालयों में लगेगी विशेष लोक अदालत

बैठक में भाग लेतीं शिक्षा मंत्री नीरा यादव, जस्टिस डीएन पटेल अन्य।

रांची | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्ति, नियुक्ति और अन्य बकाया मामलों के निष्पादन के लिए सितंबर-अक्तूबर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में इन मामलों का निपटारा किया जाएगा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष और जस्टिस डीएन पटेल ने इसके लिए शनिवार को एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। इसमें यह सहमति बनी।

न्याय सदन डोरंडा में हुई इस बैठक में शिक्षा मंत्री नीरा यादव, विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारी, कुलसचिव विश्वविद्यालयों के अधिवक्ता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में जस्टिस पटेल ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों के काफी मामले अदालत में लंबित हैं। इसमें सबसे अधिक सेवानिवृत्ति भुगतान, मृत कर्मचारियों का बकाया और दूसरे बकाया से संबंधित हैं। इन मामलों में सरकार और यूनिवर्सिटी के कारण मामलों का निपटारा नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को कई साल से कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है। ऐसे मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जा सकता है।

बैठक में विनोबा भावे की ओर से बताया गया कि सरकार से उसे बकाया के मद में करीब 53 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। रांची विवि को दस करोड़ मंजूर होने की बात कही गई।